

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड (म0प्र0)


क्रमांक डी.1 सी.1 / स्टेनो / 2024

दिनांक 16.04.2024

-:: आंशिक संशोधित कार्य विभाजन पत्रक ::-

अधोहस्ताक्षरकर्ता मैं कमलेश भरकुँदिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक डी.1 / स्टेनो / 2024 दिनांक 12.04.2024 प्रभावशील दिनांक 15.04.2024 के सरल क्रमांक 09 में अंकित निम्नलिखित इवारत :- "तहसील लहार स्थित समस्त आरक्षी केंद्र और भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा "354, 354(क), 354(ख), 354(ग), 354(घ), 376(1), 376(2), 376(क), 376(कख), 376(ख), 376(ग), 376(घ), 376(घक), 376(घख), 376(ड) व धारा 509 के अपराध के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 164(5)(क) के अधीन लिये जाने वाले कथन" को सरल क्रमांक 09 से विलोपित करते हुए कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 11 में विधिवत् समाविष्ट करता हूँ।

नोट - आदेश आज दिनांक 16.04.2024 से प्रभावशील




(कमलेश भरकुँदिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला भिण्ड

पृष्ठांकन क्र०...3.04/24
प्रतिलिपि :-

भिण्ड, दिनांक...16-04-24

- ✓ 01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
02. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल के माध्यम से प्रेषित ।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर आदेश की प्रति जिला न्यायालय भिण्ड की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किये जाने और समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार को ई-मेल के माध्यम से सूचित किये जाने हेतु प्रेषित ।
04. अध्यक्ष अभिभाषक संघकी ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
05. थाना प्रभारी थानाकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



(कमलेश भरकुँदिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला भिण्ड